

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- रूकड़ीदेवी पत्नी भीकाराम --:बनाम--:

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :- 152/2023

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
हक हुक्म  
की तामील  
में जारी  
हुए

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

4.06.23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प आ. कालु में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- आ. कालु ११ में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 140, 176 व 312 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम रूकादेवी पत्नी भीकाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में रूकड़ीदेवी पत्नी भीकाराम हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम धर्माराम पुत्र भंवरु के स्थान पर रूकड़ीदेवी पत्नी भीकाराम शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान आ. कालु में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक आ. कालु व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- आ.कालु ११ में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 140, 176 व 312 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम रूकादेवी पत्नी भीकाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में रूकड़ीदेवी पत्नी भीकाराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम रूकादेवी पत्नी भीकाराम के स्थान पर रूकड़ीदेवी पत्नी भीकाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक आ. कालु व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा- आ. कालु ११ में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 140, 176 व 312 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि रूकादेवी पत्नी भीकाराम को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " रूकड़ीदेवी पत्नी भीकाराम " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जावता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

SDO

(तहसीलदार जैतारण)  
राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान आ. कालु ११ में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 140, 176 व 312 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम रूकादेवी पत्नी भीकाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में रूकड़ीदेवी पत्नी भीकाराम दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम रूकादेवी पत्नी भीकाराम के स्थान पर रूकड़ीदेवी पत्नी भीकाराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

